

जिला दण्डाधिकारी - सह- उपायुक्त का कार्यालय, जामताड़ा
(जिला विधि शाखा)

कार्यालय आदेश।

समाहरणालय, जामताड़ा एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मियों से प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों की जाँच एवं निष्पादन के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा-4 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

01. सुश्री प्रतिभा कुजूर- अध्यक्ष।
02. डॉ० मंजुला मुर्मू- सदस्य।
03. श्रीमती आशा राठौर- गैर सरकारी संगठन सदस्य।
04. श्रीमती प्रतिमा कुमारी- सदस्य।

जिला आंतरिक शिकायत समिति महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर अधिनियम में निहित प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेगी एवं अधिनियम की धारा-14 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्धवार्षिक/ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेगी।

Arunima
26/4/18
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक...149/वि०शा० दिनांक...26.4.18

प्रतिलिपि :- सुश्री प्रतिभा कुजूर, कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा / डॉ० मंजुला मुर्मू, वरीय महिला चिकित्सक, सदर अस्पताल, जामताड़ा / श्रीमती आशा राठौर, बदलाव फाउण्डेशन / श्रीमती प्रतिमा कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Arunima
26/4/18
उपायुक्त,
जामताड़ा।

ज्ञापांक...149/वि०शा० दिनांक...26.4.18

प्रतिलिपि :- सभी कार्यालय प्रधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से Website पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपि :- जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

Arunima
26/4/18
उपायुक्त,
जामताड़ा।